सेवा में,

संसदीय सचिव/जनसूचना अधिकारी,

भारत सरकार, नई दिल्ली।

253163
5/7/16

विषयः—जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

Law Secy

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनायें जनहित/लोकहित में जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा5-7 के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. यह बताया जावे कि 1942 में भारत छोडो आन्दोलन में एवं 1947 तक कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गये।
2. 1942 से 1947 तक भारत छोडो आन्दोलन में लगभग 10,000 आदमी पुलिस की गोली से मारे गये, उन मारने वाले लोगों में 7000 व्यक्ति ब्राम्हण समुदाय के थे। इसकी प्रमाणित सूचना जनहित/लोक हित में देने की कृपा करें।
3. 1942 से 1947 तक किनते व्यक्तियों को भारत छोड़ो अन्दोलन में सजायें हुई थीं और 15 अगस्त 1947 के बाद कितने राजनैतिक बन्दी आजाद किये गये और कितने आजाद नहीं किये गये इनके नाम, पते व जाति बताई जाये।
4. भारत की संविधान बनाने की समिति अर्थात संविधान समिति/संविधान सभा में कितने लोग थे उनके नाम व जाति व चयन का आधार क्या था? बताया जाये।
5. संविधान में जब समान नागरिक संहिता का प्राविधान दिया गया है तो उसके आज तक लागू क्यों नहीं किया गया है कारण बतायें।

6. सम्पूर्ण देश पर, सभी समुदायों पर जब आई0पी0सी0 लागू है तो फिर समान नागरिक संहिता सिविल पूरे देश पर लागू क्यों नहीं की जा रही है इस तुष्टिकरण का कारण बतायें।

7. भारत वर्ष का कोई भी व्यक्ति न्यायालय के बारन्ट के बिना जेल नहीं जा सकता और बिना न्यायालय के आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ सकता है तो फिर पूर्व विदेश मंत्री जसवन्त सिंह किस प्रकार से तीन आतंकियों को जेल से निकालकर कांधार ले गये थे। उस कानून को बताया जाये क्यों इस सम्बन्ध में तत्कालीन सम्बन्धित न्यायालय से अनुमति ली गयी थी।

8. तात्कालिक गवर्नर जनरल लार्ड माउण्टबेटन एवं "प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू" के मध्य हुई संधि (ट्रान्सफर ऑफ पावर्स एग्रीमेन्ट) की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाये।

9. इण्डिया इंडिपेन्डेन्स एक्ट (1946) की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाये।

10. ट्रान्सफर ऑफ पावर्स एग्रीमेन्ट (1947) में यह लिखा हुआ है कि 15.08.1947 के बाद से 50 वर्ष तक नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को जीवित या मृत पाये जाने पर भारत सरकार उन्हें बन्दी के रूप में ब्रिटेन को सौंपेगी की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करायें।

11. इस्ट इण्डिया कम्पनी के जाने के बाद भी बाकी लगभग 150 कम्पनियां इस आधार पर भारत देश में कार्य कर रही हैं।

12. क्या भारत सरकार इण्डिया इंडिपेन्डेन्स एक्ट (19 6) एवं ट्रान्सफर ऑफ पावर्स एग्रीमेन्ट (1947) को निष्प्रभावी करने में समर्थ है या नहीं इसकी प्रमाणित जानकारी दें।

13. क्या भारत आज भी ब्रिटेन का कोमन बैल्थ सोसायटी में डॉमिनियन स्टेट है?

—)

प्रार्थी आपसे आशा करता है कि समस्त बिन्दुओं की बिन्दुबार सूचना जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6-7 के अन्तर्गत जनहित / लोकहित में अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

प्रार्थी

दिनांकः— 25/06/2016

Darpan

दर्पण कुमार मिश्र

C/o पं0 आदित्य नरायन पाण्डेय (गुरू जी)

एडवोकेट

बस्ता नं.— 6 बरामदा नं0— 9

कचहरी परिसर, जिला—इटावा (उ0प्र0)

प्रतिलिपिः—

1. महामहिम राष्ट्रपति भारत
2. मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार।
3. मा0 न्याय एवं कानून मंत्री भारत सरकार।

[illegible]

पोस्टल आर्डर नं0 - 34F 357355 -
34F 357356
34F 357357

विदेश मंत्रालय
(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)
*****

सं: यू.II/551/29/2016 दिनांक: 22 सितम्बर 2016

सेवा में,
श्री दर्पण कुमार मिश्र द्वारा पं. आदित्य नारायण पाण्डेय (गुरुजी)
एडवोकेट
बस्ता नंबर:- 8, बरामदा नंबर:- 9,
कचहरी परिसर, जिला – इटावा
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना ।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित आर टी आई प्रार्थना पत्र संख्या "शून्य" दिनांकित 25 जून 2016 का संदर्भ लें, जो कि इस मंत्रालय को दिनांक 21 सितम्बर 2016 को प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आर टी आई प्रार्थना पत्र में आपके द्वारा क्रमांक 13 पर मांगी गई सूचना इस प्रभाग के कार्य-क्षेत्र से संबंधित है और संबद्ध जानकारी निम्नवत है:

"भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य एक **स्वतंत्र एवं संप्रभु देश** के रूप में है न कि ब्रिटेन के डॉमिनियन स्टेट के रूप में। यह 1948 में भारत का स्वयं का निर्णय था कि एक नवीन गणतन्त्र के रूप में राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित हुआ जाए। 1949 के लंदन घोषणापत्र के बाद से, जिससे वर्तमान राष्ट्रमण्डल की स्थापना हुई थी, भारत ने 53 स्वतंत्र एवं संप्रभु देशो के इस संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। "

3. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे संबंधित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष सं: 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली- 110011, फोन: 011-49018413 व फैक्स: 011-49018412 को भेजी जा सकती है।

भवदीय

(अलियावती लोंगकुमर)
अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग
कक्ष संख्या 0160, जवाहर लाल नेहरू भवन,
विदेश मंत्रालय, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली- 110011
फोन: 011-49018416

प्रतिलिपि:

1. श्री एस. के. चिटकारा, उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 07 सितंबर 2016 के पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।